वाद संख्या 65/15	धारा अंतर्गत 53 RTA	निर्णय दिनांक 23-5-17
समक्ष - श्री हीरालाल वर्मा RAS उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

महेश पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी डोलतपुरा तह० छीपाबडौद

बनाम

1. प्रयागलाल पुत्र नारायण
2. सन्तोष पुत्री मूलचन्द पत्नी राकेश जाति माली नि० इन्द्रगढ़ राज० रामगंजमण्डी
3. नीटू पुत्री मूलचन्द पत्नी राजेन्द्र माली नि० मालीखेडा तह० भवानीमण्डी
4. रिंकु पुत्री मूलचन्द जाति माली नि० डोलतपुरा हाल मोतीपुरा छबडा
5. राज० सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद
6. शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छीपाबडौद

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार निवादित काश्त नाके ग्राम पचोर तह० छीपाबडौद का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

ग्राम डोलतपुरा

		ख० न०	रकबा	लगान
1	महेश पुत्र मूलचन्द कौम माली सा० डोलतपुरा सन्तोष, नीटू, रिंकु पुत्रियां मूलचन्द माली निवासी डोलतपुरा	649	4.01	3.52 भाग
		651	1.14	1.32
		653	0.08	0.31
		654	1.03	0.90
		किता 4	7.06	6.05
2	प्रयागलाल पुत्र नारायण जाति माली नि० डोलतपुरा तह० छीपाबडौद	649/1	4.00	3.48
		651/1	1.14	1.33
		653/1	0.09	0.35
		654/1	1.02	0.85
		किता 4	7.05	6.01

साथ ही नियमानुसार..........................रू0 का व्ययानुतोष..........................द्वारा..........................को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक..........................को निर्गत किया गया।

उपरोक्तानुसार निवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को आदेशित किया जाता है।

उपजिला कलक्टर
छीपाबड़ौद, जिला बारां (राज.)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारीश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य मांग पूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		

Scanned by CamScanner

निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 65/2015 दावा
दायरा दिनांक 18.06.2015
निर्णय दिनांक :-05.04.2017

उनवान

महेश पुत्र मूलचन्द जाति माली निवारी दोलतपुरा तहसील छीपाबड़ौद।

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र नारायण
2. संतोष पुत्री मूलचन्द पत्नि राकेश जाति माली निवारी हनुवंतखेडा रोड रामगंजमण्डी जिला कोटा
3. नीतू पुत्री मूलचन्द पत्नि राजेन्द्र जाति माली निवारी मालीखेड़ा तहसील भवानीमण्डी जिला झालावाड़।
4. रितु पुत्री मूलचन्द जाति माली निवासी दौलतपुरा हाल मोती कोलोनी अस्पताल के पास छबड़ा।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद।
6. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छीपावड़ौद।

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :- 05.04.2017

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री ललित कुमार शर्मा वादी।
2. मूलचन्द सुमन प्रतिवादी।

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि विवादित आराजी खसरा नंबर 649 रकबा 8.01 बीघा, खसरा नंबर 651 रकबा 3.08 बीघा, खसरा नंबर 653 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 654 रकबा 2.06 बीघा कुल किता 4 रकबा 14.11 बीघा मौजा पछाड़ में स्थित है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 70 से वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के शामलाती खातेदारी में दर्ज एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है, जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में वादी व प्रतिवादी क्रम 3 व 4 नाबालिक दर्ज है, लेकिन वादी व प्रतिवादी क्रम 3 व 4 वालिग हो गये है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 वादी को उसके हिस्से की पूरी आराजीयात काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न करते है, तथा वादी अपने हिस्से की आराजीयात का सुधार करना चाहता है। इसलिए वादी अपने हिस्से की आराजी का बटवारा चाहता है, जिसका वादी कानूनी अधिकारी है। वादी ने दिनांक 12.06.2015 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 से उक्त वर्णित आराजीयात का सहमति के आधार पर खाता

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 ने वादी के निवेदन पर कतई ध्यान नही दिया। वादी ने उसी दिन तहसीलदार छीपाबड़ौद से खाता विभाजन करवाने के लिए कहा, तो वह भी सहखातेदारान ने सहमति न होने से इन्कार हो गये। वादी कारण प्रथम बार दिनांक 13.06.2015 को वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 से खाता विभाजन की कहने पर तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 द्वारा असहमति व्यक्त करने पर तथा प्रतिवादी क्रम 5 द्वारा खाता विभाजन करने से इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ, जिसका जवाबुल जवाब वादी द्वारा पेश किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम पछाड़ सम्वत् 2067–70, नकल जमाबन्दी ग्राम पछाड़ सम्वत् 2071–74, खाता संख्या 328 पेश की। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2071–74, साई बोरवेल छीपाबड़ौद का 37740/– रू. का बिल पेश किया गया, एवं जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी अयोध्या बाई पत्नि मूलचन्द के नाम के बिल की छाया प्रति पेश की गई। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 महेश, पी.डब्ल्यू 2 छीतरलाल के बयान कराये गये। प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2071–2074, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 328 पेश की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू 1 श्यामलाल, डी.डब्ल्यू 2 जगमोहन के ब्यान करवाये गये।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया कि वाद पत्र की मद् नंबर 1 में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी 2 ता 3 का हिस्सा 1/2 दर्ज है एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है।

   वादी

2. आया कि वादी अपने हिस्से 1/2 की आराजी का विभाजन कराने का अधिकारी है।

   वादी

3. आया कि वाद पत्र की मद नंबर 1 में अंकित भूमि मे प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2 हिस्सा दक्षिण दिशा की तरफ का मौके पर कब्जे अनुसार बटवारा एवं टयूबवेल व चाह में बटवारा कराने के अधिकारी है।

   प्रतिवादी

4. आया कि जमाबन्दी में वादी नाबालिक एवं प्रतिवादी क्रम 3 व 4 का नाम नाबालिक दर्ज है। व वादी एवं प्रतिवादी की कोई जाति अंकित नही है। इसलिए वादी का वाद चलने योग्य नही है।

   प्रतिवादी

5. अनुतोष ।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी व कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम पछाड़ मे दर्ज है, जो वादी एवं प्रतिवादीगण के शामला खातेदारी मे दर्ज एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है, जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा है। वादी द्वार

Scanned by CamScanner

नाम करवाया था। प्रतिवादी क्रम 1 ने आधा खर्चा देने सम्बन्धी ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जिससे यह साबित हो सके कि ट्यूबवैल दोनो भाईयों ने शामलाती मे खुदवाया हो। प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार वादी व प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 का हिस्सा 1/2 एव प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज है। जिसे वादी एवं प्रतिवादी मौका एवं कब्जे के अनुसार विभाजन कराने के अधिकारी है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, तथा प्रतिवादी क्रम 1 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम पछाड़ के खसरा नंबर 649 रकबा 8.01 बीघा, खसरा नंबर 651 रकबा 3.08 बीघा, खसरा नंबर 653 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 654 रकबा 2.06 बीघा कुल किता 4 रकबा 14.11 बीघा मे वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 का हिस्सा 1/2 व ट्यूबवैल वादी के हिस्से मे एवं प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner